

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
उद्योग संचालनालय

वाष्पयंत्र निरीक्षणालय, छत्तीसगढ़
रायपुर

सूचना का अधिकार अधिनियम - 2005

कार्यालय पता:

वाष्पयंत्र निरीक्षणालय, छत्तीसगढ़
द्वितीय तल, उद्योग भवन, रिंग रोड नं- 1,
तेलीबांधा, पोस्ट ऑफिस - रविग्राम, रायपुर
(छ.ग.), पिन - 492 006

सूचना का अधिकार अधिनियम - 2005

प्रस्तावना

पृष्ठभूमि :-

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 लागू होने से जन-सामान्य को समयावधि में सूचना उपलब्ध कराने का दायित्व विभाग का है। विभाग की कार्यप्रणाली, उपलब्ध जानकारी एवं दस्तावेज तथा अधिकारियों/कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्यों की जानकारी संकलित रूप से हस्तपुस्तिका में दी गई है।

हस्तपुस्तिका का उद्देश्य :-

इस हस्तपुस्तिका के विभिन्न अध्यायों में वाष्पयंत्र निरीक्षणालय से संबंधित जानकारी का वर्गीकरण एवं उनके प्राप्त करने की विधि का वर्णन किया गया है। जानकारी प्राप्त करने के लिए यह पुस्तिका संदर्भ के रूप में बहुत उपयोगी है।

यह हस्तपुस्तिका किन व्यक्तियों/संस्थाओं/संगठनों इत्यादि के लिए उपयोगी है :-

ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं/संगठनों के लिए यह पुस्तिका बहुत उपयोगी है जिन्होंने वाष्पयंत्र की स्थापना की है या स्थापना प्रस्तावित है। इसी के साथ वाष्पयंत्रों से जुड़े अन्य व्यक्ति/संस्था जैसे इंजीनियर, ऑपरेटर, निर्माणकर्ता एवं रिपेयरकर्ता के लिये भी यह पुस्तिका बहुत उपयोगी है।

हस्तपुस्तिका का प्रारूप :-

इस हस्तपुस्तिका का प्रारूप सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के प्रावधान के अनुरूप है।

परिभाषाएं :-

- I. **अधिनियम** से अभिप्रेत बॉयलर्स अधिनियम-2025 (सन् 2025 का 12) है।
- II. **विनियम** से तात्पर्य केन्द्रीय बॉयलर्स बोर्ड द्वारा अधिनियम की धारा 40 के अधीन बनाए गए विनियम से है।
- III. **दुर्घटना** से किसी बॉयलर या बॉयलर कंपोनेंट का विस्फोट अभिप्रेत है जिससे उसकी मजबूती कम हो जाए अथवा अनियंत्रित पानी या वाष्प का प्रवाह उससे हो जावे जिसके कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हो या घायल हो अथवा संपत्ति को नुकसान हो।
- IV. **बोर्ड** से धारा 3 के अधीन गठित केन्द्रीय बॉयलर्स बोर्ड अभिप्रेत है।

- V. **बॉयलर** से कोई भी ऐसा दाब पात्र अभिप्रेत है, जिसमें बाहर उपयोग करने हेतु तापक्रम के माध्यम से वाष्प उत्पन्न किया जावे तथा वह पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से दबावाधीन रहे जब वाष्प बन्द कर दी जावे परन्तु इसमें ऐसा दाब पात्र शामिल नहीं है:
- (a) जिसकी क्षमता 25 लीटर से कम हो (यह क्षमता फीड चेक वाल्व से मेन स्टीम वाल्व तक मापी जावे); अथवा
- (b) एक किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर से कम डिजाइन प्रेशर एवं वर्किंग प्रेशर; अथवा
- (c) जिसके पानी एक सौ डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर गर्म किया जाता हो।
- VI. **मुख्य निरीक्षक, उपमुख्य निरीक्षक और निरीक्षक** से इस अधिनियम के अधीन क्रमशः मुख्य निरीक्षक, उपमुख्य निरीक्षक तथा निरीक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है।
- VII. **मितोपयोजक (Economiser)** से अभिप्रेत है भरण नली का कोई ऐसा भाग जो अवशिष्ट ऊष्मा को इकट्ठा करने के लिए फ्लू गैसेस की क्रिया के लिये पूर्णतः या भागतः खुला रहता है।
- VIII. **भरण नली** से अभिप्रेत है पूर्णतः या भागतः दबावाधीन कोई नली या संबंध फिटिंग, जिसके द्वारा भरण जल सीधे बॉयलर्स में पहुंचाता है और जो उसका अनिवार्य भाग नहीं है।
- IX. **स्वामी** से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसके पास बॉयलर है अथवा बॉयलर के स्वामी के हो और इसके अन्तर्गत किसी ऐसे बॉयलर का उपयोग करने वाला ऐसा व्यक्ति भी है जो बॉयलर के स्वामी से भाड़े पर लिया है अथवा किसी अनुबंध के रूप में प्राप्त किया है।
- X. **वाष्पनली** से कोई ऐसी नली अभिप्रेत है जिससे वाष्प प्रवाहित होती है, यदि-
- (a) वह दबाव जिस पर ऐसी नली से निकलने वाली वाष्प का दबाव वायुमंडलीय दबाव से प्रतिवर्ग सेंटीमीटर 3.5 किलोग्राम से अधिक है; या
- (b) ऐसी नली, आंतरिक व्यास में 254 मिलीमीटर से अधिक है तथा वाष्प का दबाव वायुमंडलीय दबाव से एक किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर से अधिक है, तथा दोनों ही दशा में वाष्प नली से संबंधित फिटिंग भी उसके अन्तर्गत है।

हस्तपुस्तिका में समायोजित विषयों के संबंध में विस्तृत जानकारी तथा अन्य जानकारी के लिए संपर्क व्यक्ति :-

श्री गुंजन शुक्ला

मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़

द्वितीय तल, उद्योग भवन, रिंग रोड नं.-1,

तेलीबांधा, पोस्ट ऑफिस-रविग्राम,

रायपुर, (छ.ग.) पिन-492 006

हस्तपुस्तिका में उपलब्ध जानकारी के अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने की विधि एवं शुल्क :-

केन्द्रीय बॉयलर्स बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित बॉयलर्स अधिनियम-2025, भारतीय बॉयलर विनियम-2026 तथा बोर्ड द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचनाएं एवं अन्य संबंधित जानकारी बोर्ड की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है :-

<https://dpiit.gov.in/>

इसके अतिरिक्त बॉयलर्स अधिनियम-2025, भारतीय बॉयलर विनियम-2026, बाजार दर पर पुस्तक के रूप में पुस्तक विक्रेताओं के पास उपलब्ध है।

1 - संगठन की विशिष्टियां, कृत्य एवं कर्तव्य

1-1 लोक प्राधिकरण के उद्देश्य :-

वाष्पयंत्रों से संबंधित औद्योगिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार द्वारा बॉयलर्स अधिनियम-2025 प्रतिस्थापित किया गया है। बॉयलर्स अधिनियम-2025 तथा उसके तहत बनाये गये विनियमों व नियमों को राज्य में लागू करने का कार्य वाष्पयंत्र निरीक्षणालय करता है।

1-2 लोक प्राधिकरण का मिशन/विजन :-

वाष्पयंत्र (बॉयलर) स्टील के प्लेट, ट्यूबों एवं पाइपों से निर्मित एक यंत्र है जिसमें पानी को गर्म कर अत्यंत उच्च तापक्रम एवं दाब की वाष्प (स्टीम) का उत्पादन होता है। वाष्पयंत्र का उपयोग विभिन्न उद्योगों में औद्योगिक उत्पादन के चरणों में ऊष्मा प्रदान करने एवं मूल गति उत्पादक (प्राइम मूवर) को चलाने में किया जाता है। यदि इन वाष्पयंत्रों का सही उपयोग, उच्च दर्जे का रख-रखाव, प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा परिचालन एवं उचित संरचना न हो तो गंभीर दुर्घटना हो सकती है जिससे जन-धन की काफी क्षति हो सकती है। वाष्पयंत्र निरीक्षणालय का मिशन/विजन यह है कि वाष्पयंत्रों का निरीक्षण एवं परीक्षण बॉयलर्स अधिनियम-2025 के प्रावधानों के अनुसार किया जावे ताकि वाष्पयंत्रों से संबंधित सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

1-3 लोक प्राधिकरण का संक्षिप्त इतिहास और उसके संगठन का प्रसंग :-

पूर्ववर्ती म.प्र. में पूर्ववर्ती राज्य का वाष्पयंत्र निरीक्षणालय का क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर में स्थापित था। उक्त क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सरगुजा एवं कोरिया जिले को छोड़कर छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिलों के वाष्पयंत्र निरीक्षण का कार्य संपादित किया जाता था। 01-11-2000 से छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के फलस्वरूप राज्य शासन द्वारा वाष्पयंत्र निरीक्षणालय की स्थापना की गई जिसका कार्यक्षेत्र संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य है।

1-4 लोक प्राधिकरण के कर्तव्य :-

मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र बॉयलर्स अधिनियम-2025 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा शासन द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करेगा किन्तु सामान्यतया उसका प्रधान कर्तव्य अधीनस्थ अधिकारियों के कार्य का पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करना होगा। वह केवल आपवादिक मामलों में ही और जब तक वह समझे कि किसी निरीक्षक के कार्य की व्यक्तिगत जांच करना आवश्यक है, वाष्पयंत्रों का निरीक्षण तथा जांच करेगा।

1-5 लोक प्राधिकरण के मुख्य कृत्य :-

मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र के मुख्य कृत्य निम्नानुसार हैं:

- I. सभी वाष्पयंत्रों के पंजीयन ब्यौरों तथा आंकड़ों का जो अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किये गये हों, विनियमों के अध्याय नौ (9) में निर्धारित किये गये अनुसार पंजीयन जांच के लिये निरीक्षण करायेगा और अनुमोदित कार्यकारी दबाव (एप्रूव्ड वर्किंग प्रेशर) तथा अधिनियम की धारा 12 के अधीन सभी आदेशों को हस्ताक्षर सहित प्रविष्ट करेगा।
- II. अधिनियम की धारा 12 या 13 के अधीन प्रस्ताव पर आदेश देगा।
- III. ऐसे सभी मामलों में आदेश देगा जिसमें किसी अधीनस्थ अधिकारी के अधिनियम की धारा 13(5) के अधीन किसी वाष्पयंत्र के लिये अनुमत दबाव को बढ़ाने या कम करने का प्रस्ताव दिया हो।
- IV. अधिनियम की धारा 16 के अधीनस्थ प्रमाण-पत्र अथवा अनंतिम प्रमाण-पत्र वापस ले लेगा या रद्द कर देगा या धारा 13, 17 एवं 18 के अधीन किसी वाष्पयंत्र अथवा पाइपलाइन के आवश्यक मरम्मत, संरचना संबंधी परिवर्तन या उसके नवीनीकरण का आदेश देगा।
- V. ऐसे सभी मामलों में आदेश देगा जिनमें यह सूचित किया गया हो कि उचित सूचना देने के बाद भी वाष्पयंत्र अधिनियम की धारा 19(2) के अन्तर्गत निरीक्षण के लिये उचित रूप से तैयार नहीं किया गया है।
- VI. किसी निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत दायर की गई अपीलों का निर्णय करेगा।
- VII. अधिनियम के अधीन अभियोजनों के संबंध में मंजूरी देगा।
- VIII. वाष्पयंत्रों की गंभीर दुर्घटनाओं के संबंध में जांच करेगा।
- IX. भारतीय बॉयलर विनियम-2026 के अन्तर्गत निरीक्षण प्राधिकारी का कार्य करेगा तथा अधीनस्थ अधिकारियों को निरीक्षण पदाधिकारी का कार्य करने हेतु आदेश देगा।
- X. वेल्डर की परीक्षा हेतु विनियम के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी का कार्य करेगा।
- XI. वाष्पयंत्रों या उनके हिस्सों के सभी रेखा चित्रों तथा नक्शों को अनुमोदित करेगा।
- XII. अधीनस्थ अधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन पर आदेश देगा।

- XIII. निरीक्षण से संबंधित जो शुल्क अधिक मात्रा में चुकाया गया हो उसकी वापसी के लिए आदेश जारी करेगा।
- XIV. राज्यों में अधिनियम के प्रशासन के संबंध में राज्य शासन को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

1-6 लोक प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची एवं उनका संक्षिप्त विवरण :-

बिन्दु क्रमांक 1-4 तथा 1-5 में उल्लेखित कर्तव्य एवं मुख्य सेवा कृत्य के विवरण दर्ज है।

1-7 लोक प्राधिकरण के विभिन्न स्तरों पर संगठनात्मक ढांचा :-

वाष्पयंत्र निरीक्षणालय राज्य स्तर का कार्यालय है जो कि उद्योग संचालक, छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक नियंत्रण में है। इसका अन्य कोई कार्यालय जिला अथवा ब्लॉक स्तर पर नहीं है।

1-8 लोक प्राधिकरण की कार्यदक्षता बढ़ाने हेतु जन सहयोग की अपेक्षाएं :-

वाष्पयंत्र के प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण हेतु वैधता अवधि के 15 दिवस पूर्व ऑन लाइन आवेदन, निरीक्षण शुल्क का ई-चालान एवं वांछित निरीक्षण तिथि प्राप्त होने से समयावधि में निरीक्षण हो सकेगा। निरीक्षण के समय वाष्पयंत्र को भलीभांति तैयार रखने से संपूर्ण निरीक्षण होता है एवं समय की बचत होती है।

1-9 जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिए विधि/व्यवस्था :-

वाष्पयंत्र के प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण हेतु इकाई से आवेदन एवं निरीक्षण शुल्क प्राप्त न होने की स्थिति में वैधता अवधि की समाप्ति के पूर्व ऐसी इकाइयों को सूचित कर आवेदन एवं निरीक्षण शुल्क प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया जाता है।

1-10 जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था :-

अनुश्रवण एवं शिकायतों के मामले में सूचना प्राप्त होने के तीस दिवस के भीतर आवश्यक जांच एवं निरीक्षण कर निराकरण की व्यवस्था की गई है।

1-11 मुख्य कार्यालय तथा विभिन्न स्तरों पर कार्यालयों के पते :-

वाष्पयंत्र निरीक्षणालय का कार्यालय राज्य स्तर का है एवं अन्य स्तरों पर इसका कोई अधीनस्थ कार्यालय नहीं है। कार्यालय का पता निम्नानुसार है:

मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र,
वाष्पयंत्र निरीक्षणालय, छत्तीसगढ़
द्वितीय तल, उद्योग भवन, रिंग रोड नं.-1,
तेलीबांधा, पोस्ट ऑफिस-रविग्राम, रायपुर (छ.ग.) पिन-492 006

कार्यालय के खुलने का समय :- सुबह 10:00 बजे

2 - अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य

2-1 पद का नाम :- मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र

I. शक्तियां :-

A. प्रशासकीय :-

1. अधिकारियों/कर्मचारियों पर स्थापना संबंधी प्रशासनिक नियंत्रण ।
2. अधिकारियों/कर्मचारियों का राज्य के भीतर शासकीय दौरा की मंजूरी एवं यात्रा देयकों का अनुमोदन ।
3. अधिकारियों/कर्मचारियों को अवकाश की स्वीकृति ।

B. वित्तीय :-

1. छ.ग. कोष संहिता भाग-II के अनुसार संयुक्त संचालक उद्योग को प्रदत्त वित्तीय अधिकार के समकक्ष ।
2. अधिक मात्रा में चुकाई गई फीस की वापसी की मंजूरी के लिए प्राधिकृत अधिकारी ।
3. किसी वाष्पयंत्र हेतु चुकाई गई फीस का समायोजन किसी अन्य वाष्पयंत्र हेतु करने की अनुमति प्रदान करना बशर्ते वाष्पयंत्र एक ही मालिक के हों ।
4. बजट नियंत्रण अधिकारी ।

II. कर्तव्य :-

- A. अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत वाष्पयंत्रों का पंजीयन करना ।
- B. अधिनियम की धारा 13(5), 16, 17, 18 तथा 19(2) के अन्तर्गत निरीक्षकों से प्राप्त प्रस्ताव पर आदेश पारित करना ।
- C. अधिनियम की धारा 33 के अधीन निरीक्षकों से प्राप्त अभियोजन चलाने के प्रस्ताव पर अनुमति देना ।

2-2 पद का नाम :- उप मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र

- I. **शक्तियां :-** मुख्य निरीक्षक के समकक्ष प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार ।
- II. **कर्तव्य :-**
 - A. बॉयलर्स अधिनियम, 2025 की धारा-5(3) के अनुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र के कर्तव्यों का निर्वहन एवं अन्य कर्तव्यों का निर्वहन ।
 - B. वाष्पयंत्रों का निरीक्षण, जलभार परीक्षण एवं स्टीम टेस्ट करना ।
 - C. अधिनियम की धारा 12, 13(5), 16, 17, 18 तथा 19(2) के अधीन किये गए निरीक्षण का प्रतिवेदन मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र के आदेश हेतु प्रस्तुत करना ।
 - D. अधिनियम की धारा 33 के अधीन अभियोजन चलाने के प्रस्ताव मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र को प्रस्तुत करना ।

2-3 पद का नाम :- वरिष्ठ निरीक्षक वाष्पयंत्र

- I. **शक्तियां :-**
 - A. प्रशासकीय : निरंक
 - B. वित्तीय : निरंक
 - C. अन्य : आहरण एवं संवितरण अधिकारी
- II. **कर्तव्य :-**
 - A. वाष्पयंत्रों का निरीक्षण, जलभार परीक्षण एवं स्टीम टेस्ट करना ।
 - B. अधिनियम की धारा 12, 13(5), 16, 17, 18 तथा 19(2) के अधीन किये गए निरीक्षण का प्रतिवेदन मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र के आदेश हेतु प्रस्तुत करना ।
 - C. अधिनियम की धारा 33 के अधीन अभियोजन चलाने के प्रस्ताव मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र को प्रस्तुत करना ।

2-4 पद का नाम :- निरीक्षक वाष्पयंत्र

- I. **शक्तियां :-**
 - A. प्रशासकीय : निरंक
 - B. वित्तीय : निरंक
 - C. अन्य : आहरण एवं संवितरण अधिकारी
- II. **कर्तव्य :-**
 - A. वाष्पयंत्रों का निरीक्षण, जलभार परीक्षण एवं स्टीम टेस्ट करना ।

- B. अधिनियम की धारा 12, 13(5), 16, 17, 18 तथा 19(2) के अधीन किये गए निरीक्षण का प्रतिवेदन मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र के आदेश हेतु प्रस्तुत करना।
- C. अधिनियम की धारा 33 के अधीन अभियोजन चलाने के प्रस्ताव मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र को प्रस्तुत करना।

2-5 पद का नाम :- सहायक अधीक्षक

I. शक्तियां :- निरंक

II. कर्तव्य :-

- A. प्राप्त आवेदनों का प्रारंभिक परीक्षण कर नस्ती सहित प्रस्तुत करना।
- B. आय व व्यय का लेखा करना, टंकण कार्य, स्थापना संबंधी कार्य एवं अन्य लेखा कार्य।
- C. अधिकारियों के निर्देशानुसार अन्य कार्यालयीन कार्य संपादित करना।

2-6 से 2-9 पद का नाम :- सहायक वर्ग- 1, लेखापाल, सहायक वर्ग- 2, सहायक वर्ग- 3

I. शक्तियां :- निरंक

II. कर्तव्य :-

- A. प्राप्त आवेदनों का प्रारंभिक परीक्षण कर नस्ती सहित प्रस्तुत करना।
- B. आय व व्यय का लेखा करना, टंकण कार्य, स्थापना संबंधी कार्य एवं अन्य लेखा कार्य।
- C. अधिकारियों के निर्देशानुसार अन्य कार्यालयीन कार्य संपादित करना।

2-10 पद का नाम :- भृत्य

I. शक्तियां :- निरंक

II. कर्तव्य :-

- A. सामान्य डाक लाने ले जाने का कार्य।
- B. कोषालय में बिल लगाने का कार्य।
- C. कार्यालय में नस्तियां आदि संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों को पहुंचाना एवं अन्य संबंधित कार्य।

3 - निर्णय लेने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है

वाष्पयंत्र निरीक्षणालय द्वारा राज्य में स्थित बॉयलरों का वार्षिक निरीक्षण कर उनका फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है। नये स्थापित होने वाले बॉयलर्स का निरीक्षण कर उनका पंजीयन किया जाता है। राज्य में निर्मित होने वाले बॉयलरों के कलपुर्जों का निर्माण के विभिन्न चरणों में निरीक्षण कर उनको प्रमाणित किया जाता है। वेल्डरों का

परीक्षण कर उनको प्रमाणित किया जाता है। बॉयलरों पर काम करने वाले ऑपरेटर्स/फायरमेन तथा इंजीनियरों के प्रमाणीकरण हेतु परीक्षा आयोजित की जाती है।

- I. **उत्तरदायित्व :-** बॉयलर्स का वार्षिक निरीक्षण, नये बॉयलरों का पंजीयन हेतु निरीक्षण, कलपुर्जों का निर्माण के दौरान निरीक्षण, वेल्डरों का परीक्षण करने के कार्य का निरीक्षक वाष्पयंत्र द्वारा किया जाता है। ऑपरेटर्स/फायरमेन तथा इंजीनियरों की परीक्षा आयोजित करने का कार्य शासन द्वारा गठित परीक्षक मंडल द्वारा किया जाता है।
- II. **पर्यवेक्षण :-** बॉयलर्स अधिनियम-2025 तथा भारतीय बॉयलर विनियम-2026 के तहत समस्त कार्यों के पर्यवेक्षण का कार्य मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र द्वारा किया जाता है।

4 - अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मापदंड

कार्य	मापमान (समय सीमा)	निर्वहनकर्ता अधिकारी
बॉयलरों का पंजीयन हेतु निरीक्षण	30 दिवस	निरीक्षक वाष्पयंत्र
बॉयलरों का निरीक्षण कर प्रमाण-पत्र जारी करना	15 दिवस	निरीक्षक वाष्पयंत्र
निरीक्षण के पश्चात् बॉयलर्स के मरम्मत का प्रस्ताव	02 दिवस	निरीक्षक वाष्पयंत्र
बॉयलर में हुई दुर्घटना का अनुसंधान	15 दिवस	निरीक्षक वाष्पयंत्र
वेल्डर की परीक्षा	30 दिवस	निरीक्षक वाष्पयंत्र
बॉयलरों का भाप परीक्षण	30 दिवस	निरीक्षक वाष्पयंत्र
बॉयलर विनिर्माता (मैन्युफैक्चरर) के रूप में अनुमोदन जारी करना	30 दिवस	मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र
बॉयलर विनिर्माता (मैन्युफैक्चरर) के रूप में अनुमोदन का नवीनीकरण करना	15 दिवस	मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र
बॉयलर संस्थापनकर्ता (इंरेक्टर)/दुरुस्तीकर्ता (रिपेयरर) के रूप में अनुमोदन जारी करना	30 दिवस	मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र

कार्य	मापमान (समय सीमा)	निर्वहनकर्ता अधिकारी
बॉयलर संस्थापनकर्ता (इंरेक्टर)/दुरुस्तीकर्ता (रिपेयरर) के रूप में अनुमोदन का नवीनीकरण करना	15 दिवस	मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र

मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र द्वारा उपरोक्त मापमान की निरंतर समीक्षा की जाती है ताकि कार्य समय-सीमा में पूरा हो सके।

5 - अपने द्वारा या अपने नियंत्राधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए किए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

I. बॉयलर्स अधिनियम - 2025 (अधिनियम)

- A. **संक्षिप्त परिचय :** विभिन्न परिभाषाएं, अधिकारियों के कर्तव्य तथा शक्तियां, स्वामी का कर्तव्य, अपील एवं अभियोजन हेतु संक्षम अधिकारी तथा केन्द्र एवं राज्य शासन को प्रदत्त शक्तियां।
- B. **प्राप्ति स्थान :** केन्द्रीय बॉयलर्स बोर्ड नई दिल्ली की वेबसाइट <https://dpiit.gov.in/> पर।
- C. **शुल्क :** बाजार दर पर पुस्तक विक्रेताओं के पास तथा कार्यालय में प्रति पृष्ठ रु. 2.00 की दर से उपलब्ध।

II. भारतीय बॉयलर विनियम - 2026

- A. **संक्षिप्त परिचय :** बॉयलरों के निर्माण, रूपांकन, निरीक्षण, परीक्षण की विस्तृत जानकारी।
- B. **प्राप्ति स्थान :** <https://dpiit.gov.in/> एवं बाजार दर / कार्यालय प्रति पृष्ठ रु. 2.00

III. छत्तीसगढ़ बॉयलर्स नियम - 1969

- A. **संक्षिप्त परिचय :** अधिकारियों के कर्तव्य, विभिन्न प्रकार की निरीक्षण शुल्क, स्थानांतरित अथवा नष्ट किये गये वाष्पयंत्रों के संबंध में कार्यवाही तथा दुर्घटना की जांच आदि।
- B. **प्राप्ति स्थान :** राजपत्र / कार्यालय प्रति पृष्ठ रु. 2.00

IV. छत्तीसगढ़ मितोपयोजक नियम - 1959

- A. **संक्षिप्त परिचय :** मितोपयोजक के निरीक्षण शुल्क एवं निरीक्षण के बारे में जानकारी।
- B. **प्राप्ति स्थान :** राजपत्र / कार्यालय प्रति पृष्ठ रु. 2.00
- C. **बॉयलर परिचर नियम - 2025**
- D. **संक्षिप्त परिचय :** बॉयलर परिचर की परीक्षा हेतु मंडल का गठन, परीक्षा पद्धति, सिलेबस, परीक्षा शुल्क एवं प्रमाणीकरण।
- E. **प्राप्ति स्थान :** भारत का राजपत्र / कार्यालय प्रति पृष्ठ रु. 2.00

- V. **बॉयलर प्रचालन इंजीनियर नियम - 2025**
- A. **संक्षिप्त परिचय :** बॉयलर प्रचालन इंजीनियर की परीक्षा हेतु मंडल का गठन, परीक्षा पद्धति, सिलेबस, परीक्षा शुल्क एवं प्रमाणीकरण।
- B. **प्राप्ति स्थान :** भारत का राजपत्र / कार्यालय प्रति पृष्ठ रु. 2.00
- VI. **छत्तीसगढ़ राज्य वाष्पयंत्र निरीक्षणालय सेवा (राजपत्रित) भर्ती तथा पदोन्नति नियम - 2013**
- A. **संक्षिप्त परिचय :** राजपत्रित अधिकारियों की भर्ती की प्रक्रिया, न्यूनतम योग्यता तथा पदोन्नति हेतु पात्रता।
- B. **प्राप्ति स्थान :** राजपत्र / कार्यालय प्रति पृष्ठ रु. 2.00
- VII. **छत्तीसगढ़ राज्य वाष्पयंत्र निरीक्षणालय तृतीय श्रेणी सेवा (लिपिक वर्गीय) भर्ती नियम - 2011**
- A. **संक्षिप्त परिचय :** तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती एवं पदोन्नति हेतु प्रक्रिया एवं पात्रता।
- B. **प्राप्ति स्थान :** राजपत्र / कार्यालय प्रति पृष्ठ रु. 2.00
- VIII. **छत्तीसगढ़ राज्य वाष्पयंत्र निरीक्षणालय चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम - 2012**
- A. **संक्षिप्त परिचय :** चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती हेतु प्रक्रिया एवं पात्रता।
- B. **प्राप्ति स्थान :** राजपत्र / कार्यालय प्रति पृष्ठ रु. 2.00

6 - ऐसे दस्तावेजों की श्रेणी का विवरण जो उनके द्वारा धारित किए गए हैं अथवा उनके निरंतरण में हैं

क्र. सं.	दस्तावेज का नाम एवं परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने की प्रक्रिया	धारक/नियंत्रणाधीन
1	पंजीयन पुस्तिका (वाष्पयंत्रों का तकनीकी विवरण तथा निरीक्षण टीप दर्ज)	आवेदन	मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र
2	निरीक्षण पुस्तिका (वाष्पयंत्रों का तकनीकी विवरण तथा निरीक्षण टीप दर्ज)	आवेदन	मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र
3	पंजीकृत वाष्पयंत्रों की पंजी	आवेदन	मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र
4	स्थानांतरित वाष्पयंत्रों की पंजी	आवेदन	मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र
5	अपीलों की पंजी	आवेदन	मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र
6	दुर्घटनाओं की पंजी	आवेदन	मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र

क्र. सं.	दस्तावेज का नाम एवं परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने की प्रक्रिया	धारक/नियंत्रणाधीन
7	शुल्क प्राप्ति की पंजी	आवेदन	मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र

उपरोक्त समस्त दस्तावेज वाष्पयंत्र निरीक्षणालय, छत्तीसगढ़, रायपुर में उपलब्ध हैं।

7 - ऐसी व्यवस्था का विवरण हो उसकी नीति निर्माण अथवा उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में लोक सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है

- I. नीति निर्धारण हेतु : अधिनियम, विनियम अथवा नियमों में इस प्रकार का प्रावधान नहीं है।
- II. नीति के कार्यान्वयन हेतु : अधिनियम, विनियम अथवा नियमों में इस प्रकार का प्रावधान नहीं है।

8 - बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण

- I. संबद्ध संस्था का नाम एवं पता : (1) बॉयलर परिचर परीक्षक मंडल, (2) बॉयलर प्रचालन इंजीनियर परीक्षक मंडल
- II. प्रकार : बोर्ड
- III. संक्षिप्त परिचय (स्थापना वर्ष, उद्देश्य) : स्थापना वर्ष: 2018-2021; मुख्य कृत्य: बॉयलरों पर कार्य करने वाले ऑपरेटरों/फायरमेन तथा इंजीनियरों के लिये परीक्षा आयोजित करना।
- IV. भूमिका : मंडल द्वारा परीक्षा आयोजित कर सफल उम्मीदवारों को प्रमाणपत्र जारी किया जाता है।
- V. मुख्य अधिकारी का नाम : श्री गुंजन शुक्ला, मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र (पदेन अध्यक्ष दोनों परीक्षक मंडल)
- VI. बैठक की आवृत्ति : सामान्यतः वर्ष में एक बार अथवा आवश्यकतानुसार।
- VII. क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है? : जी नहीं।
- VIII. क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है? : जी हां, सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन देकर प्राप्त की जा सकती है।

विगत बॉयलर प्रचालन इंजीनियर परीक्षक मंडल सदस्य :

1. श्री प्रताप केशरी स्वेन, कार्यपालन अभियंता - मेसर्स हसदेव ताप विद्युत गृह, CSPGCL, कोरबा पश्चिम (पिन-495450)
2. श्री सुनील बिस्वास, अधीक्षण अभियंता (यांत्रिकी संधारण) - मेसर्स मड़वा ताप विद्युत गृह, CSPGCL, जांजगीर-चांपा (पिन-495668)
3. श्री नागल्ला वारा प्रसाद, अपर महाप्रबंधक (अनुरक्षण) - एनटीपीसी लिमिटेड, कोरबा (पिन-495450)

4. श्री एस.एस.एस. मूर्ति, उप महाप्रबंधक (पावर प्लांट-1) - भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई, दुर्ग (पिन-490001)
5. श्री बी.पी. मेहता, सहायक महाप्रबंधक (बॉयलर्स संधारण) - एनटीपीसी सेल पावर कंपनी लिमिटेड, भिलाई, दुर्ग (पिन-490001)
6. श्री शिशिर नायक, प्रबंधक (प्रचालन) - एनटीपीसी लिमिटेड, सीपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, बिलासपुर (पिन-495555)
7. श्री विनय शांडिल्य, अध्यक्ष (पावर) - मेसर्स गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड, सिलतरा, रायपुर (पिन-493111)
8. श्री राजेश कुमार सिंह, महाप्रबंधक (यांत्रिकी) - मेसर्स डी.बी. पावर लिमिटेड, जांजगीर-चांपा (पिन-495695)
9. श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव, एसोसिएट उपाध्यक्ष (प्रचालन एवं संधारण) - मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड, तमनार, रायगढ़ (पिन-496001)
10. श्री एस.एन. पांडे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष - मेसर्स आर.के.एम. पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड, उच्चपिंडा, डभरा, जांजगीर-चांपा (पिन-495652)

बॉयलर परिचर परीक्षक मंडल सदस्य :

1. श्री डी. व्ही. सत्यनारायण, महाप्रबंधक (पावर प्लांट) - मेसर्स ए.सी.सी. लिमिटेड, जामुल, दुर्ग
2. श्री सुभाष चंद जैन, वर्क्स मैनेजर - मेसर्स गोलछा ऑक्साइड प्रा.लि., सिरगिट्टी, बिलासपुर (पिन-495004)
3. श्री विनीत कुमार गुप्ता, उप महाप्रबंधक (पावर प्लांट-1) - भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई, दुर्ग (पिन-490001)
4. श्री संजय शर्मा, एस.ई. (एम.एम.-III) - ताप विद्युत गृह, CSPGCL, कोरबा पूर्व
5. श्री निशांत बाजपेयी, ए.व्ही.पी. (पावर) - मेसर्स गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड, सिलतरा, रायपुर (पिन-493111)
6. श्री प्रकाश गुप्ता, महाप्रबंधक - मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, हिरमी, बलौदाबाजार-भाटापारा (पिन-493195)
7. श्री अमरीक सिंह पनेसर, उप महाप्रबंधक (बी.एम.डी.) - एनएसपीसीएल, भिलाई, दुर्ग (पिन-490021)
8. श्री कृष्णकुमार व्ही., अपर महाप्रबंधक (प्रचालन) - कोरबा सुपर ताप विद्युत गृह, एनटीपीसी लिमिटेड, कोरबा (पिन-495450)
9. श्री श्रीनिवास राव डोमेती, उप महाप्रबंधक (प्रचालन) - एनटीपीसी लिमिटेड, लारा, पुसौर, रायगढ़ (पिन-496440)
10. श्री संजीव कंसल, एस.ई. (बॉयलर्स) - CSPGCL, डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह, कोरबा पूर्व

9 - अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

क्र.	नाम	पदनाम	दूरभाष	ई-मेल	पता
1	श्री गुंजन शुक्ला	मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र	9424144267	gunjan.shukla120@gmail.com	वाष्पयंत्र निरीक्षणालय, रायपुर छत्तीसगढ़
2	श्री फणीन्द्र कुमार भोई	उप मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र	94242 13013	fkbbhoi@yahoo.com	वाष्पयंत्र निरीक्षणालय, रायपुर छत्तीसगढ़
3	श्री उज्ज्वल गुप्ता	उप मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र	9926948850	ujjwal237@gmail.com	वाष्पयंत्र निरीक्षणालय, रायपुर छत्तीसगढ़
4	श्री नितिन बाजपेयी	वरिष्ठ निरीक्षक वाष्पयंत्र	9826532088	ntn.bajpai@gmail.com	वाष्पयंत्र निरीक्षणालय, रायपुर छत्तीसगढ़
5	श्री कुंदन राज	वरिष्ठ निरीक्षक वाष्पयंत्र	74709 31317	knd22.kr@gmail.com	वाष्पयंत्र निरीक्षणालय, रायपुर छत्तीसगढ़
6	श्री द्वारिका वर्मा	वरिष्ठ निरीक्षक वाष्पयंत्र	91790 19102	dwarika.verma13@gmail.com	वाष्पयंत्र निरीक्षणालय, रायपुर छत्तीसगढ़
7	श्री अनिल कुमार मिंज	निरीक्षक वाष्पयंत्र	75874 07362	anil00minj@gmail.com	वाष्पयंत्र निरीक्षणालय, रायपुर छत्तीसगढ़
8	श्री नरेश सोनवानी	निरीक्षक वाष्पयंत्र	7987690502	nareshsonwani@gmail.com	वाष्पयंत्र निरीक्षणालय, रायपुर छत्तीसगढ़
9	श्री दीपक कुमार	निरीक्षक वाष्पयंत्र	8602394568	dpk.lahre@gmail.com	वाष्पयंत्र निरीक्षणालय, रायपुर छत्तीसगढ़
10	श्री साकेत अग्रवाल	निरीक्षक वाष्पयंत्र	9205305453	asaketboiler@gmail.com	वाष्पयंत्र निरीक्षणालय, रायपुर छत्तीसगढ़

क्र.	नाम	पदनाम	दूरभाष	ई-मेल	पता
11	श्री मनीष ध्रुव	निरीक्षक वाष्पयंत्र	8349214321	manish.dhruw57@gmail.com	वाष्पयंत्र निरीक्षणालय, रायपुर छत्तीसगढ़
12	श्री राजेश सक्सेना	सहायक अधीक्षक	982673372	saxenaraju109@gmail.com	वाष्पयंत्र निरीक्षणालय, रायपुर छत्तीसगढ़
13	श्री अर्जुन कुमार घृतलहरे	सहायक वर्ग-1	9893260321	argunghritalahare69@gmail.com	वाष्पयंत्र निरीक्षणालय, रायपुर छत्तीसगढ़
14	श्री अंगद राम	सहायक वर्ग-2	9200230416	bhoiangadram@gmail.com	वाष्पयंत्र निरीक्षणालय, रायपुर छत्तीसगढ़
15	श्री रूपेश कुमार गुप्ता	सहायक वर्ग-2	8962392272	assuregupta@gmail.com	वाष्पयंत्र निरीक्षणालय, रायपुर छत्तीसगढ़
16	श्री संतज्ञानी	भृत्य	9302210485	NA	वाष्पयंत्र निरीक्षणालय, रायपुर छत्तीसगढ़
17	श्री लिल्लार सिंह	भृत्य	9770123840	NA	वाष्पयंत्र निरीक्षणालय, रायपुर छत्तीसगढ़
18	श्री मेहत्तर राम	भृत्य	08120092885	NA	वाष्पयंत्र निरीक्षणालय, रायपुर छत्तीसगढ़

10 - मासिक पारिश्रमिक विवरण (31-03-2026 की स्थिति में)

क्र.	नाम	पदनाम	पे (Pay)	डी.ए. (DA)	सी.सी.ए. एच.आर.ए.	अन्य भत्ता	कुल वेतन (रु.)
1	श्री गुंजन शुक्ला	मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र	1,10,500	64,090	75 11,050	0	1,85,715

क्र.	नाम	पदनाम	पे (Pay)	डी.ए. (DA)	सी.सी.ए. एच.आर.ए.	अन्य भत्ता	कुल वेतन (रु.)
2	श्री फणीन्द्र कुमार भोई	उप मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र	1,07,300	62,234	75 10,730	0	1,80,339
3	श्री उज्ज्वल गुप्ता	उप मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र	1,04,200	60,436	75 10,420	0	1,75,131
4	श्री नितिन बाजपेयी	वरिष्ठ निरीक्षक वाष्पयंत्र	75,700	43,906	75 7,570	0	1,27,251
5	श्री कुंदन राज	वरिष्ठ निरीक्षक वाष्पयंत्र	75,700	43,906	75 7,570	0	1,27,251
6	श्री द्वारिका वर्मा	वरिष्ठ निरीक्षक वाष्पयंत्र	75,700	43,906	75 7,570	0	1,27,251
7	श्री अनिल कुमार मिंज	निरीक्षक वाष्पयंत्र	73,500	42,630	75 7,350	0	1,23,555
8	श्री नरेश सोनवानी	निरीक्षक वाष्पयंत्र	56,100	32,538	75 5,610	0	94,323
9	श्री दीपक कुमार	निरीक्षक वाष्पयंत्र	56,100	32,538	75 5,610	0	94,323
10	श्री राजेश सक्सेना	सहायक अधीक्षक	60,400	35,032	75 6,040	550	1,02,097

क्र.	नाम	पदनाम	पे (Pay)	डी.ए. (DA)	सी.सी.ए. एच.आर.ए.	अन्य भत्ता	कुल वेतन (रु.)
11	श्री अर्जुन कुमार घृतलहरे	सहायक वर्ग-1	47,500	27,550	75 4,750	550	80,425
12	श्री अंगद राम	सहायक वर्ग-2	40,800	23,664	75 0	550	65,089
13	श्री रूपेश कुमार गुप्ता	सहायक वर्ग-2	27,700	16,066	75 0	550	44,391
14	श्री संतज्ञानी	भृत्य	38,500	22,330	75 3,850	350	65,105
15	श्री लिल्लार सिंह	भृत्य	34,700	20,126	75 0	692 9	61,830
16	श्री मेहत्तर राम	भृत्य	32,700	18,966	75 0	655 0	58,291

11 - प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट

I. वर्ष 2026-2027 : राज्य स्तरीय कार्यालय है अतः लागू नहीं होता है।

12 - आबंटित राशि का विवरण

मांग संख्या-11, मुख्य शीर्ष-2230, उपमुख्य शीर्ष-01, लघुशीर्ष-120, सेगमेंट कोड-0000, योजना क्रमांक-8034, उद्देश्य शीर्ष-01

मद	वर्ष 2025-26 में कुल व्यय (रु.)	स्वीकृत बजट 2026-27 (रु.)
# 01 - वेतन, भत्ते आदि		
001 वेतन	1,23,62,981	1,59,25,000
003 मंहगाई भत्ता	65,65,806	98,35,000
006 मकान किराया भत्ता	10,41,951	18,00,000

मद	वर्ष 2025-26 में कुल व्यय (रु.)	स्वीकृत बजट 2026-27 (रु.)
014 अन्य भत्ते	2,02,305	3,00,000
015 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	3,21,053	12,00,000
020 त्यौहार अग्रिम	0	20,000
021 घटाइये वापसियां	0	-20,000
024 चिकित्सा अग्रिम	0	20,000
025 घटाइये वापसियां	0	-20,000
योग उद्देश्य # 01	2,04,94,096	2,90,60,000
# 02 - मजदूरी (दैनिक वेतन भोगी)	0	0
# 03 - यात्रा भत्ता	18,650	3,00,000
# 04 - कार्यालय व्यय		
001 डाकतार पर व्यय	0	3,00,000
002 दूरभाष पर व्यय	31,656	50,000
003 फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण	46,772	2,00,000
004 पुस्तकें एवं नियतकालिक पत्रिकाएं	2,400	20,000
005 बिजली एवं जल प्रभार	6,410	50,000
006 वर्दियां	8,680	20,000
007 लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	0	2,00,000

मद	वर्ष 2025-26 में कुल व्यय (रु.)	स्वीकृत बजट 2026-27 (रु.)
008 अन्य आकस्मिक व्यय	54,516	4,00,000
009 सूचना प्रौद्योगिकी	1,59,106	3,00,000
013 किराया महसूल, कर	0	0
योग उद्देश्य # 04	3,09,540	15,40,000
# 10 - व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां (परीक्षक मानदेय)	0	6,00,000
योग योजना (8034) / लघु शीर्ष (102)	2,08,22,286	3,15,00,000

13 - रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण

- I. लागू नहीं होता है / निरंक ।

14 - इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचनाएं

वाष्पयंत्र निरीक्षणालय आयोजनेत्तर मद के अन्तर्गत आबंटित बजट द्वारा कार्य करता है तथा निरीक्षणालय द्वारा अन्य कार्यक्रम संचालित नहीं किये जाते हैं ।

15 - सूचना प्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

- I. अखबारों के द्वारा : जी हां (आवश्यकतानुसार)
- II. सूचना पटल : जी हां
- III. अभिलेखों का निरीक्षण : जी हां
- IV. दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने की व्यवस्था : जी हां
- V. उपलब्ध विभागीय मैनुअल : जी हां
- VI. लोक प्राधिकरण की वेबसाइट : जी हां

16 - लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टियां

लोक सूचना अधिकारी :

नाम व पदनाम : श्री उज्ज्वल गुप्ता, उप मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र

एसटीडी / फोन : 0771-4513713

पता : बी 4001, सृष्टि प्लाजो, अवंति विहार, रायपुर

प्रथम अपीलीय अधिकारी :

नाम व पदनाम : श्री गुंजन शुक्ला, मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र

एसटीडी / फोन : 0771-4513713

पता : प्लॉट नं. 175, शशि सदन, यूनीहोम्स सोसायटी, भाठागांव चौक, बड़ी पानी टंकी के पास, रायपुर

17- खरीद से संबंधित सूचना

I. वर्ष 2025-26 में GEM पोर्टल से डेस्क टॉप कंप्यूटर की खरीदी की गई।

18- सार्वजनिक निजी भागीदारी

I. लागू नहीं होता है / निरंक।

19-स्थान्तरण नीति और स्थान्तरण आदेश

I. निरंक है।

20-सूचना का अधिकार आवेदन

I. 01.01.2026 से आज दिनांक तक प्राप्त सभी 12 आवेदन निराकृत।

21-सी ए जी एवं पीएसी पैरा

I. निरंक हैं।

22-नागरिक घोषणापत्र

I. लागू नहीं।

23-विवेकाधीन और विवेकाधिकार के बिना अनुदान

I. लागू नहीं होता है।

24-मन्त्रियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के विदेश दौरे

I. निरंक है।

प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न एवं उत्तर (FAQ)

प्रश्न 1 : क्या वाष्पयंत्र का पंजीयन कराना आवश्यक है?

उत्तर : बॉयलर्स अधिनियम-2025 की धारा 12 के अनुसार वाष्पयंत्र का उपयोग करने के पूर्व पंजीयन कराना अनिवार्य है।

प्रश्न 2 : क्या वाष्पयंत्रों का वार्षिक निरीक्षण आवश्यक है?

उत्तर : अधिनियम की धारा 13 के प्रावधान के अनुसार प्रत्येक वाष्पयंत्र को चलाने के लिये वार्षिक निरीक्षण कराना आवश्यक है।

प्रश्न 3 : यदि भविष्य में किन्हीं कारणवश वाष्पयंत्र को न चलाना हो तो भी वार्षिक निरीक्षण कराना अनिवार्य है?

उत्तर : यदि वाष्पयंत्र को नहीं चलाना हो तो निरीक्षण करवाना अनिवार्य नहीं है। इस बाबत कार्यालय में लिखित सूचना देना वांछनीय है।

प्रश्न 4 : वाष्पयंत्र का निरीक्षण अन्य कौन-कौन सी परिस्थिति में कराना आवश्यक है?

उत्तर : यदि वाष्पयंत्र के प्रमाण पत्र की अवधि समाप्त हो जावे, वाष्पयंत्र में दुर्घटना हो जावे, यदि वाष्पयंत्र का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया जावे (18.58 वर्गमीटर से छोटे तथा पोर्टेबल या कूलर वाष्पयंत्र पर लागू नहीं), यदि वाष्पयंत्र में कोई मरम्मत की जावे या वाष्पयंत्र की वाष्पनली में खराबी या मरम्मत हो तो वाष्पयंत्र को पुनः उपयोग करने के पूर्व निरीक्षण कराना अनिवार्य है।

प्रश्न 5 : वाष्पयंत्र या वाष्प नली में मरम्मत के पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है? यदि है तो क्यों?

उत्तर : अधिनियम की धारा 17 एवं 18 के प्रावधान के अनुसार वाष्पयंत्र या वाष्प नली में मरम्मत के पूर्व मुख्य निरीक्षक की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा अनिवार्य है क्योंकि मरम्मत कार्य की गुणवत्ता तथा उपयोग किये गये मटेरियल की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।